(ख) उच्च न्यायालयवार,न्यायाधीशों की रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण संसद कि पटल पर रख दिया गया हैं ।(नीचे देखिए)

(ग) ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया में विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श अंतर्विष्ट हैं । उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों का विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है

विवरण

क्रम स.	उच्च न्यायालय	तारीख 1-8-97 को न्यायाधीशों की रिक्तियां
1.	इलाहाबाद	12
2.	आन्ध्र प्रदेश	1
3.	मुम्बई	9
4.	कलकत्ता	11
5.	दिल्ली	3
6.	गौहाटी	1
7.	गुजरात	7
8.	हिमाचल प्रदेश	-
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	मद्रास	2
14.	उड़ीसा	1
15.	पटना	6
16.	पंजाब और हरियाणा	6
17.	राजस्थान	2
18.	सिक्किम	2
	योग	77*

*न्यायाधीशें की नियुक्ति के लिए 27प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

पुराने मुकदमों का निपटारा

2305.**श्री ईश दत्त यादव**:

श्री नागमणि:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्याय की वर्तमान प्रणाली के कारण 20 साल से पुराने मुकदमों का फैसला अब तक नहीं हो पाया है;

(ख) सरकार द्वारा मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार को वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है,यदि हां,तो उन बाधाओं का ब्यौरा क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी.खलप): (क) मामलों का लंबित होना विभिन्न जटिल उपाद्यनों के कारण हैं,जिसके अंतर्गत संस्थित किए जाने वाले मामलों में वृद्वि,जनसंख्या में भारी वृद्वि,आम्थगनों को मंजूर किया जाना,मुकदमेबाजी के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन,लंबे तर्क-वितर्क और वकीलों की हड़ताल आदि हैं ।

(ख) और (ग) प्रक्रियात्मक विधियों में संशोधन करने के अतिरिक्त सरकार ने समय-समय पर विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मामलों के शीघ्र निपटान के बारे में प्रयास किए हैं । विधि मंत्रियों,मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्याय-मूर्तियों तथा न्याय प्रशासन से संबद्व अन्य व्यक्तियों के सम्मेलन कालिकत: आयोजित किए जाते हैं और ऐसे विचार विनियम तथा परामर्शो से प्रोदभूत सिफारिशों और निष्कर्षो को कार्यान्वित किया जाता है तथा उनकी प्रगत निकट रूप से मानिटर की जाती हैं ।